न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहनलाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार – अपीलाण्ट

बनाम

हिम्मत सिंह पुत्र अनूप सिंह जाति राजपूत, निवासी मालापाड़ा, थाना नादौती – रेस्पोण्डेण्ट

अपील आर्म्स एक्ट

निर्णय

दिनांक–16.12.2019

यह अपील कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली के आदेश दिनांक 16.09.2008 के विरुद्ध माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय, भरतपुर में आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के तहत प्रस्तुत अपील के निर्णय दिनांक 20.11.2015 से रिमाण्ड होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुई है। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा रेल रोको आंदोलन के मद्देनजर समस्त जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्र निलंबित कर दिनांक 08.06.2008 तक शस्त्रों को थाने में जमा करवाने हेतु निर्देशित किया था जिसका प्रकाशन समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में कराया गया था। पुनः दिनांक 11.06.08 को पब्लिक नोटिस समाचार पत्र के माध्यम से दिनांक 13.06.2008 की शाम 5 बजे तक शस्त्रों को संबंधित थाने में जमा कराने के आदेश दिये थे। इसके उपरांत श्री राजपूत का शस्त्र थाने में जमा नहीं होने की रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिनांक 13.11.2008 द्वारा श्री राजपूत का शस्त्र प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया था जिसके विरुद्ध अपील पेश की गई थी।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर श्री राजपूत की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। पुलिस अधीक्षक करौली से रिपोर्ट तलब की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 16.09.2008 विधिक कार्यवाही कर जारी किया गया है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के मध्येनजर समस्त जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्र निलंबित कर शस्त्रों को थाने में जमा करवाने हेतु निर्देशित किया था जिसका प्रकाशन समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में कराया गया था। तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए व्यक्तिगत तामील करवाया जाना अथवा व्यक्तिगत रूप से सुना जाना संभव नहीं था। इसके उपरांत श्री राजपूत का शस्त्र थाने में जमा नहीं होने की रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिनांक 16.09.2008 द्वारा श्री राजपूत का शस्त्र प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया था। अंत में शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त ही रखा जाने का कथन किया है।

श्री राजपूत का बहस में कथन है कि उनका शस्त्र दिनांक 03.08.2007 से ही थाना नादौती में जमा था और आज भी जमा है। ऐसी स्थिति में श्री राजपूत के विरुद्ध पारित आदेश दिनांक 16.09.2008 विधि विरुद्ध है। अंत में शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने का कथन किया है।

पुलिस अधीक्षक, करौली ने रिपोर्ट क्रमांक–ल–1 ( )श.अ. बहाली/डीएसबी/2019/12609 दिनांक 19.11.2019 से अवगत कराया है कि श्री राजपूत के विरुद्ध (1) मु.नं. 178/06 थाना नादौती में दर्ज होकर चार्जशीट नं. 118 दिनांक 21.11.2006 अंतर्गत धारा 323, 341, 34 आई.पी.सी. में पेश न्यायालय हुई जो न्यायालय में विचाराधीन है। (2) मु.नं. 13/15 थाना नादौती में दर्ज होकर चार्जशीट नं. 57 दिनांक 26.06.2015 अंतर्गत

धारा 323, 341 आई.पी.सी. में पेश न्यायालय हुई जो न्यायालय में विचाराधीन है। (3) मु.नं. 146 / 17 थाना नादौती में दर्ज होकर चार्जशीट नं. 151 दिनांक 06.08.2017 अंतर्गत धारा 323,341,427,34 आई.पी.सी. में पेश न्यायालय हुई जो न्यायालय में विचाराधीन है। (4) मु. नं. 03 / 18 थाना नादौती में दर्ज होकर चार्जशीट नं. 12 दिनांक 31.01.2018 अंतर्गत धारा 323,341,324,325,34 आई.पी.सी. में पेश न्यायालय हुई जो न्यायालय में विचाराधीन है। शस्त्र दिनांक 03.08.2007 से थाना नादौती में जमा है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण पुलिस अधीक्षक करौली द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने में आपत्ति प्रेषित की है।

बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के रेल रोको आंदोलन के मद्देनजर जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त कर शस्त्र थाने में जमा करवाने बाबत् निर्देश दिये गये थे। श्री राजपूत द्वारा शस्त्र जमा नहीं करने की थानाधिकारी नादौती रिपोर्ट के आधार पर श्री राजपूत का शस्त्र अनुज्ञापत्र दिनांक 16.09.2008 को निरस्त किया गया था। प्रकरण मूलतः इस बिन्दु पर आधारित है कि श्री राजपूत द्वारा दिनांक 13.06.2008 से पूर्व शस्त्र को थाने में जमा करवाया गया या नहीं? श्री राजपूत के विरुद्ध न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों के कारण उनका शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त नहीं किया गया था बल्कि शस्त्र को दिनांक 13.06. 2008 तक संबंधित थाने में जमा नहीं करवाने की रिपोर्ट के आधार पर ही निरस्त किया गया था जबकि श्री राजपूत का शस्त्र दिनांक 03.08.2007 से थाना नादौती में जमा है। अतः श्री राजपूत का शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाल किया जाना उचित समझते हैं।

अतः इस कार्यालय का आलोच्य आदेश दिनांक 16.09.2008 श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री अनूपसिंह जाति राजपूत निवासी मालापाड़ा के नाम की हद तक निरस्त किया जाता है एवं श्री राजपूत का शस्त्र प्राधिकार पत्र बहाल किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.01.01 11:09:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: